न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 172/2018

अनवान :

1. बीरजलाल पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. मनीराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. मघाराम पुत्र बीन्झाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा।
2. जगदीश पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. ओमप्रकाश पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती एवं घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.

उपस्थिति : वकील श्री ताराचन्द मोठसरा **: वादीगण**

वकील श्री दलीप सहु**: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक : 23.8.18**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि रोही मोजा रामपुरा तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 61/53 के खसरा सं. 4 की 5.375 हैक्टर, खसरा सं. 68 की 13.418 हैक्टर कुल 18.793 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी मघाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। यही बिनाय दावा है।

वादभूमि प्रतिवादी मघाराम की माता दाखा पहले नोपाराम की विवाहिता थी, नापाराम के नुत्फे से दाखा के एक पुत्र तारूराम पैदा हुआ था उसके उपरान्त नोपाराम की मृत्यु हो गई जिसके वाद दाखा ने नोपाराम के भाई बीझांराम से दूसरी शादी कर ली थी जिससे प्रतिवादी मघाराम पैदा हुआ।

सहायक कलक्टर (फा.ट्रेक) भादरा (हनु.)

सहायक कलक्टर एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट

वादभूमि पहले तारू की खातेदारी हुआ करती थी। तारू लावल्द फोत होने पर उक्त भूमि प्रतिवादी मघाराम व तारू की माता दाखा के नाम दर्ज हो गई है एवं दाखा के देहान्त होने पर उक्त भूमि प्रतिवादी मघाराम के नाम विरासतन दर्ज हो गई। इस प्रकार उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्दु परिवार की जददी जायदाद है। जिसमें वादीगण का भी जन्म से हक व अधिकार निहित है।

वादभूमि के संबंध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथ इसी अनुसार वर्तमान में वादभूमि पर कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी मघाराम के नाम से दर्ज चली आ रही है। जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ऐसी स्थिति में वादीगण न्यायालय से यह घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी है कि वादभूमि रोही मोजा रामपुरा के वर्तमान खाता सं. 61/53 के खसरा सं. 4 की 5.375 हैक्टर, खसरा सं. 68 की 13.418 हैक्टर कुल 18.793 हैक्टर बारानी खातेदारी जो प्रतिवादी मघाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है, उसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के अनुसार काश्तकार है। बाद किये जाने घोषणा जमाबंदी हाल को तदानुसार दुरूस्त किया जावे।

वादभूमि में वादीगण ने अपने हक अधिकारों की घोषणा के लिये उक्त दावा पेश किया है जिसकी बाबत वादभूमि की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार होने के चलते उसे जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया व प्रतिवादी सं. 4 को वकील वादी ने तर्क किया गया। बाद पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु रखी गयी।

साक्ष्य वादी में बीरजलाल पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा के बयान करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में भूमि प्रमाण पात्र प्रदर्श 1, चालू जमाबंदी प्रदर्श 2, जमाबंदी सम्वत 2027–38 प्रदर्श 3, भू प्रबंध जमाबंदी सम्वत 2020 प्रदर्श 4, व प्रदर्श 5, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 6, प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली एवं रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा रामपुरा तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 61/53 के खसरा सं. 4 की 5.375 हैक्टर, खसरा सं. 68 की 13.418 हैक्टर कुल 18.793 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी मघाराम के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के अनुसार काश्तकार घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया था, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सम्वत 2020 प्रदर्श 4 व 5 भूप्रबंध सैटलमेन्ट विभाग में मघा वल्द बीझां को उप काश्तकार अंकित किया गया है। दस्तावेज प्रदर्श 3 में वादभूमि दाखा वाल्दा तारू के नाम अंकित है। उक्त वादभूमि दाखा से मघा वल्द बीझां को कब व किस प्रकार प्राप्त हुई, इस संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर नही है। इसलिए वादभूमि मघा की स्वअर्जित है, विरासतन प्राप्त हुई है इस बिन्दु पर वादी अपना वाद साबित करने में असफल रहा है। वादी दाखा का ही पुत्र है इस संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नही है। वादी को अपना वाद अपने पैरों पर खड़ा होकर साबित करना पड़ता है। हस्तगत प्रकरण में वादी अपने वाद के तथ्यों को समुचित साक्ष्यों द्वारा साबित करने में असफल रहा है।

अतः वाद वादी साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.8.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 172/2018

अनवान :

1. बीरजलाल पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. मनीराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. मघाराम पुत्र बीन्झाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा।
2. जगदीश पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. ओमप्रकाश पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती एवं घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा से समक्ष वकील वादीगण श्री ताराचंद मोठसरा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री दलीप सहु की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर हस्तगत प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सम्वत 2020 प्रदर्श 4 व 5 भूप्रबंध सैटलमेन्ट विभाग में मघा वल्द बीझां का उप काश्तकार अंकित किया गया है। दस्तावेज प्रदर्श 3 में वादभूमि दाखा वाल्दा तारू के नाम अंकित है। उक्त वादभूमि दाखा से मघा वल्द बीझां को कब व किस प्रकार प्राप्त हुई, इस संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर नही है। इसलिए वादभूमि मघा की स्वअर्जित है, विरासतन प्राप्त हुई है इस बिन्दु पर वादी अपना वाद साबित करने में असफल रहा है। वादी दाखा का ही पुत्र है इस संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नही है। वादी को अपना वाद अपने पैरों पर खड़ा होकर साबित करना पड़ता है। हस्तगत प्रकरण में वादी अपने वाद के तथ्यों को समुचित साक्ष्यों द्वारा साबित करने में असफल रहा है।

अतः वाद वादी साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ..23.8.18....... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़